उत्तराखण्ड भूसंपदा नियामक प्राधिकरण, देहरादून।

संख्याः — /रेरा–09/2017–18
देहरादूनः दिनांक 23 मार्च, 2018

कार्यालय आदेश

भूसंपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम–2016 तथा उत्तराखण्ड भूसंपदा (विनियमन एवं विकास) (सामान्य) नियमावली–2017 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड भूसंपदा नियामक प्राधिकरण का विधिवत गठन हो चुका है। आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के कार्यालय आदेश संख्या–499/V–2/2018–79(आ0)/2016टी0सी0, दिनांक 21 मार्च, 2018 द्वारा भूसंपदा नियामक प्राधिकरण में पृथक कार्मिकों की तैनाती होने तक उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण कार्यालय के परिसर में स्थापित रेरा सेल में सम्बद्ध कार्मिकों को अग्रिम आदेश तक उत्तराखण्ड भूसंपदा नियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित कार्यो का सम्पादन करने के लिए अधिकृत किया गया है।

अतः भूसंपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम–2016 के तहत विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के संकलन, जाँच एवं पंजीकरण संख्या निर्गत करने हेतु निम्न प्रकार से समिति का गठन किया जाता है,

1. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
3. कार्यक्रम प्रबन्धक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।

उक्त समिति पंजीकरण संख्या निर्गत करने के पूर्व मुख्य अभियन्ता के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी का अनुमोदन प्राप्त करेगी।

सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–178/V–2–2018–79(आ0)/2016, दिनांक 01 फरवरी, 2018 के आलोक में उक्त समिति Ongoing Projects के पंजीकरण हेतु दिनांक 01.08.2017 से 31.01.2018 तक सम्बन्धित प्रमोटर्स/बिल्डर्स द्वारा जमा की गयी शास्तियों की राशि वापस करने हेतु आवश्यक जाँच कर अपनी अनुशंसा करेगी तथा उस पर भी अधोहस्ताक्षरी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

(विष्णु कुमार)
अध्यक्ष
उत्तराखण्ड भूसंपदा नियामक प्राधिकरण
देहरादून।

संख्या– 1629 / रेरा–09 / 2017–18, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री सी0एम0एस0 बिष्ट, सदस्य, उत्तराखण्ड भूसंपदा नियामक प्राधिकरण, देहरादून।
2. श्री एम0सी0 जोशी, सदस्य, उत्तराखण्ड भूसंपदा नियामक प्राधिकरण, देहरादून।
3. सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
5. संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, गढ़वाल परिक्षेत्र, देहरादून।
6. संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, कुमाऊँ परिक्षेत्र, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।
7. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
8. अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
9. कार्यक्रम प्रबन्धक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

(विष्णु कुमार)
अध्यक्ष
उत्तराखण्ड भूसंपदा नियामक प्राधिकरण
देहरादून।